

दिल्ली विधान सभा
समाचार भाग-2

§ विधायी तथा अन्य मामलों से सम्बन्धित सामान्य जानकारी §
शुक्रवार, 20 दिसम्बर, 1996 / मार्गशीर्ष 29, 1918 § शक §

संख्या :- 307

सदस्यों की नज़रबंदी एवं रिहाई

माननीय अध्यक्ष, दिल्ली विधान सभा को संबोधित अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त, नई दिल्ली जिला, नई दिल्ली का दिनांक 09.12.1996 का निम्न-लिखित संदेश प्राप्त हुआ :-

"मुझे आपको ससम्मान सूचित किया करना है कि दिल्ली विधान सभा के माननीय सदस्य श्री राम निवास गोयल एवं श्री इन्द्र राज सिंह को उनके समर्थकों सहित आज अर्थात् दिनांक 08.12.1996 पूर्वाह्न 8.20 बजे, दिल्ली पुलिस अधिनियम, 1978 को धारा 65 के अन्तर्गत पुलिस के विधिसम्मत निर्देशों को अवज्ञा करने के कारण संघ लोक सेवा आयोग भवन, पुलिस थाना तिलक मार्ग, नई दिल्ली से नज़रबंद किया गया। उन्हें उसी दिन अर्थात् दिनांक 09.12.1996 को अपराह्न 3.45 बजे पुलिस थाना तिलक मार्ग, नई दिल्ली से रिहा कर दिया गया।"

पी. एन. गुप्ता
सचिव

DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY SECRETARIAT

BULLETIN PART-II

(General information relating to Legislative & other matters)
Friday, December 20, 1996/Margshish 29, 1918 (Saka)

No. 307

DETENTION AND RELEASE OF MEMBERS

The following message dated 09.12.1996 addressed to Hon'ble Speaker, Delhi Vidhan Sabha was received from the Addl. Dy. Commissioner of Police, New Delhi District, New Delhi :-

" I have the honour to inform you that Shri Ram Niwas Goyal and Shri Inder Raj Singh, Hon'ble members of Legislative Assembly, Delhi alongwith their other supporters were detained under section 65 of Delhi Police Act, 1978 for disobeying the lawful directions of Police at U.P.S.C. House, Shahjahan Road, P.S. Tilak Marg, New Delhi at 8.20 A.M. today i.e. on 08.12.1996.

They were released at 3.45 P.M. from Police Station Tilak Marg, New Delhi on the same day i.e. 08.12.1996."

P.N. GUPTA
SECRETARY